सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

बीकानेर तकनीकी ....विश्वविद्यालय,
..................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.52(4)आरबी / 2023 / 2550
दिनांक : 02 मई, 2024

आदेश

डॉ. अम्बरीश शरण विद्यार्थी को राजभवन के आदेश क्रमांक 2068–69 दिनांक 30.04.2021 द्वारा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) एवं 11(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का कुलपति नियुक्त किया गया था।

डॉ. अम्बरीश शरण विद्यार्थी का बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति पद का कार्यकाल दिनांक 03.05.2024 को पूर्ण होने जा रहा है।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2017 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) व 11(7) के अन्तर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2017 (यथा संशोधित) की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, कुलपति, एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर को अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कामचलाऊ व्यवस्था (Stop gap arrangement) अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0
(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.52(4)आरबी/2023/2551 दिनांक : 02 मई, 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ. अम्बरीश शरण विद्यार्थी, कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, कुलपति, एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलसचिव, एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर।

02/05/24

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान